न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 24/2019 प्रार्थना पत्र

1. मूलचंद पुत्र रोशन लाल महाजन निवासी तेलीखेडा तहसील रायपुर वगैरह

—प्रार्थीगण

बनाम

1. मीठा लाल पुत्र बालू लोहार निवासी तेलीखेडा तहसील रायपुर वगैरह

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन

उपस्थित –

1. श्री शोभागमल कुमावत अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री सुनील कुमार जैन अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 की ओर से
3. श्री विजय जीनगर अधिवक्ता – विपक्षी सं. 02 व 03 की ओर से बहस में भाग नहीं लिया

निर्णय

दिनांक 17.09.2019

निगराकार प्रार्थीगण द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त उनवान प्रकरण की निगरानी इस न्यायालय में जैरकार हैं जिसके निस्तारण में समय लगने की संभावना है और ताफैसला निगरानी गैर निगराकार विपक्षीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की गयी व गैर निगराकार सं. 01 द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कर लेगा तो पक्षकारान के मध्य अनेकानेक विवाद बढ जायेगें व खेतों में आने जाने का रास्ता अवरूद्व हो जावेगा। निगराकार का यह प्रथम दृष्टया मामला हैं और सुविधा संतुलन भी निगराकार प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः निवेदन कि निगराकार का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैर निगराकार विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि गैर निगराकार विपक्षी सं. 01 विवादित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण आदि नही करे व न ही किसी प्रकार का कब्जा करें। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र पेश किया। प्रार्थीगण के स्थगन प्रार्थना पत्र पर विपक्षी सं. 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया।

स्थगन प्रार्थना पत्र के जवाब की प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दिलायी गयी। प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी गयी ।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि निगरानी इस न्यायालय में जैरकार हैं जिसके निस्तारण में समय लगने की संभावना है और ताफैसला निगरानी गैर निगराकार विपक्षीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की गयी व गैर निगराकार सं. 01 द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कर लेगा तो पक्षकारान के मध्य अनेकानेक विवाद बढ जायेगें व खेतों में आने जाने का रास्ता अवरूद्व हो जावेगा। निगराकार का यह प्रथम दृष्टया मामला हैं और सुविधा संतुलन भी निगराकार प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः निवेदन कि निगराकार का प्रार्थना पत्र

स्वीकार किया जाकर गैर निगराकार के विरूद्व इस आशय का अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि गैर निगराकार विपक्षी सं. 01 विवादित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण आदि नही करे व न ही किसी प्रकार का कब्जा करें।

विपक्षी सं. 01 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि गैर निगराकार सं. 01 द्वारा किसी प्रकार से रास्ते की भूमि पर अवैध निर्माण नही किया जा रहा है, बल्कि अपनी पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण कराया जा रहा है, जो कि आर.सी.सी. छत तक निर्माण हो चुका है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर के समक्ष धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं। जिसमें मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी, जिसमें प्रार्थीगण निगराकारान की भूमि में आने जाने का रास्ता आराजी नम्बर 1542 से अलग सरल व सुगम दर्शाया गया है। निगराकार का विवाद आराजी 1542 के रास्ते के संबंध में है जबकि गैर निगराकार सं. 01 आराजी नम्बर 1542 पर काबिज नहीं है। निवेदन हैं कि निगराकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व विपक्षी सं. 01 के जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि सरपंच ग्राम पंचायत मोखुन्दा की पत्रावली सं. 313/2018 में दिनांक 25.05.2018 को मीठालाल पुत्र बालू लोहार निवासी तेलीखेडा के नाम पर आबादी भूमि का रियायती दर पर 5/–रूपये वर्गमीटर की दर से पटटा सं. 44 क्षैत्रफल 675 वर्गफीट भूमि का आवंटन किया गया। पटटे की भूमि में चारों पडौस अंकित हैं। जिसमें पश्चिम दिशा में आम रास्ता दर्शाया हैं एवं दक्षिण में पडत दर्शाया हैं। इस प्रकार विपक्षी सं. 01 के नाम जारी आबादी भूमि के पटटे के पश्चिम दिशा में आम रास्ता हैं। प्रार्थी सं. 02 व पारसमल पुत्र मीठालाल लुहार निवासी मोखुन्दा के मध्य ग्राम मोखून्दा के आराजी नं. 1542 में रास्ते के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जैरकार होकर उक्त आराजी के संबंध में विपक्षी के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा तारीख पेशी दिनांक 15.07.2019 को जारी की गयी। जबकि विपक्षी सं. 01 के नाम पर आबादी भूमि का पटटा जारी होकर विपक्षी सं. 01 द्वारा मकान निर्माण किया गया हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं हैं, सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही हैं। अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का स्थगन प्रार्थना पत्र सिद्व नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं। निगरानी प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रकरण में सुनवाई कर गुणावगुण पर निर्णय किया जावेगा। अतएव–

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं हैं, सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही हैं। अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से व स्थगन प्रार्थना पत्र सिद्व नहीं होने से खारिज किया जाता है। निगरानी प्रकरण बहस हेतु दिनांक .2019 को पेश हो।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा